न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री अशोक कुमार शर्मा
2. प्रकरण संख्या : 09/2020
3. उनवान : सरकार जरिये कुशाल बिलाला प्रवर्तन अधिकारी

बनाम

1. श्री उम्मेद सिंह पुत्र रामावतार यादव, निवासी शेका, तहसील नारनोल, जिला महेन्द्र गढ, हरियाणा।
2. वाहन मालिक गाडी संख्या एचआर–47–बी–0346
3. मैसर्स कृष्णा फिलिंग स्टेशन, भुढवाल, महेन्द्रगढ, हरियाणा

4. निर्णय दिनांक : 01-07-2022
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।
   ब) श्रीमान अश्विनी कुमार बोहरा अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी जयपुर ग्रामीण श्री कुशाल बिलाला द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ फर्द मौका, फर्द अभिग्रहण, सेम्पल लेबल, सुपुर्दगीनामा, प्रथम सूचना रिपोर्ट आदि पेश कर प्रार्थना पत्र में कथन किया कि दिनांक 12.03.2014 को पुलिस थाना पनियाला की चैकिंग के दौरान अप्रार्थी उम्मेद सिंह की पिकअप जो मिनि टेंकर में परिवर्तित की हुयी थी में अवैध डीजल होने के कारण डिटेन किया। थानाधिकारी पनियाला की सूचना पर प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी मय स्टाफ थाना परिसर में दिनांक 13.03.2014 को डिटेन वाहन की जांच कर डीजल के 750 एमएल के तीन–तीन नमूने व श्री कृष्णा फिलिंग स्टेशन की बिल बुक डायरी वास्ते सबूत लेकर शेष अवैध 2397.50 लीटर डीजल तथा इसके परिवहन में प्रयुक्त वाहन संख्या एचआर–47–बी–0346 (मिनि टेंकर जो कि पेट्रौल पम्प नोजल, डिस्पेसिंग मीटर व विद्युत चलित मोटर के साज सामान सहित) को जब्त किया गया। मौके पर अप्रार्थीगण द्वारा कोई साक्ष्य सबूत उक्त जब्त सामानों के संधारण के संबंध में पेश नहीं किये गये ना ही कोई संतोषजनक जवाब दिया गया। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जब्त माल को राजसात करने का प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दर्ज करवाया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज होने पर, चूंकि डीजल ज्वलनशील, उडनशील व जनहित की वस्तु है इसलिये दिनांक 18.03.2014 को जब्त डीजल के अन्तरिम निस्तारण के आदेश दिये गये। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी को नोटिस सम्यक रूप से तामील है। जिस पर उनकी ओर से दिनांक 19.01.2015 को अधिवक्ता श्री अश्विनी कुमार बोहरा ने वकालतनामा पेश किया। दिनांक 03.04.2014 को अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र पेश कर जब्त गाडी को सुपुर्दगी

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

में देने का निवेदन किया। जिस पर रुपये 2,50,000/- का जमानतनामा व सुपुर्दगीनामा पेश करने पर दिनांक 07.04.2014 को खाली वाहन को अप्रार्थी उम्मेद सिंह लौटाने के मोचन आदेश पारित किये गये। अप्रार्थी द्वारा नोटिस सम्यक रुप से तामील होने पर भी जवाब पेश नहीं किया गया जबकि अप्रार्थी को वाहन की सुपुर्दगी दी गई थी। अप्रार्थी/अभिभाषक के लम्बे समय तक अनुपस्थित रहने के बावजूद पत्रावली बहस पर रखी गयी। लम्बे समय तक पत्रावली बहस हेतु नियत रहने के दौरान बार-बार आवाज लगवाई गयी, न्याय हित में अन्तिम अवसर भी दिया गया। इस पर भी अप्रार्थी/अभिभाषक अनुपस्थित रहे। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 01-07-2022 को आदेश हेतु रखी गई।

हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, दस्तावेजी साक्ष्यों तथा अप्रार्थी के प्रार्थना पत्र का अवलोकन तथा बहस का मनन करने पर इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि पुलिस थाना पनियाला की सूचना पर प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी द्वारा दिनांक 13.03.2014 को पुलिस थाना पनियाला पहुंचकर डिटेनड वाहन संख्या एचआर-47-बी-0346 की जांच कार्यवाही कर अप्रार्थी के अवैध 2397.50 लीटर डीजल तथा इसके परिवहन में प्रयुक्त वाहन संख्या एचआर-47-बी-0346 (मिनि टेंकर जो कि पेट्रौल पम्प नोजल, डिस्पेसिंग मीटर व विद्युत चलित मोटर के साज सामान सहित) को जब्त किया। प्रार्थी द्वारा जब्त डीजल के खरीदने के बिल नहीं दिये तथा डीजल की खरीद बेच का लाइसेंस व विस्फोटक विभाग का लाइसेंस प्रस्तुत नहीं किया तथा उनके संधारण बाबत किसी अन्य ने भी क्लेम नहीं किया है। जिससे डीजल का अवैध होना पुष्ट होता है। हम अप्रार्थीगण द्वारा जब्त वस्तुओं के वैधानिक क्रय, संधारण, परिवहन, विक्रय आदि के विषय में कोई भी वैध एवं प्रामाणिक दस्तावेज आदिनांक तक पेश नहीं करने के कारण जब्त वस्तुओं को अवैध मानते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करना न्यायोचित पाते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के मद्देनजर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6-ए(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम स्वीकार किया जाकर जब्तशुदा सामान जिसमें 2397.50 लीटर डीजल तथा इसके परिवहन में प्रयुक्त वाहन संख्या एचआर-47-बी-0346 (मिनि टेंकर जो कि पेट्रौल पम्प नोजल, डिस्पेसिंग मीटर व विद्युत चलित मोटर के साज सामान सहित) शामिल है, को राजसात किया जाता है तथा जिला रसद अधिकारी जयपुर ग्रामीण को निर्देश दिये जाते हैं कि जब्त वस्तुओं का विधिवत अन्तिम निरतारण कर राशि राजकोष में जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(32)

अतिरिक्त कलेक्टर (तृतीय) जयपुर

(अशोक कुमार शर्मा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट